फर्द अहकाम

(नियम 133)

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

महावीर बनाम हैमीलाल वगैरह

मुकदमा 38,198 नं. 1711 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कैंचावाली में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के हाजिर होकर राजीनामा पेश किया। वाद-पत्र में संशोधन किया जाकर वाद-पत्र का कोई विरोध नहीं होने से वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय फैसला से सिरनामा राजीनामा को शामिल पत्रावली रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	महावीर [illegible] बलवीर [signatures]

Scanned by CamScanner

2

राजस्व लोक अदालत कैम्प मैनावाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी:- सुरेन्द्र सिंह, पुरोहित (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या :- 171/2018

बलवीर पुत्र देवीलाल, जाति बिश्नोई, साकिन मैनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ–

––वादी––

बनाम

1. देवीलाल पुत्र श्री काशीराम, जाति बिश्नोई, निवासी मैनावाली, तहसील व जिा हनुमानगढ–
2. बलवीर पुत्र श्री देवीलाल, जाति बिश्नोई, निवासी मैनावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ–
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––––प्रतिवादीगण।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री रामकुमार बिश्नोई एडवोकेट–वादी
2. प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 स्वयं उपस्थित

दिनांकः 4.6.18

निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मैनावाली न्याय आपके द्वार 2018 में पेश हुई। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से चक 4 एम.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नम्बर–139/356 (2) किला नम्बर–1 ता 25 तादादी 6.325 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा में व चक 4 एमडब्ल्यूएम''बी'' के पत्थर नम्बर–137/357 (4) के किला नम्बर–21/2 ता 24/2 की 0.912 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–138/358 के किला नम्बर–1,2, 3/2, 8/2, 9 ता 11 की 1.404 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–137/358 (7) के किला नम्बर–1 ता 10 की 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–134/358 (10) के किला नम्बर–16 ता 25 की 2.530 हैक्टेयर कुल 7.376 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा में व चक3 एमडब्ल्यूएम के पत्थर नम्बर–139/355 (34) के किला नम्बर–1/1, 2 ता 25 की 6.287 हैक्टेयर में से 1.256 हैक्टेयर भूमि खातेदारी दर्ज है तथा उक्त भूमि के अलावा प्रतिवादी संख्या–1 के अकेले के

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

से चक 6 एमडब्ल्यूएम''बी'' के पत्थर नम्बर–132/366 (17) के किला नम्बर–11 ता 25 3.795 हैक्टेयर भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रतिवादी ख्या–1 की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 का बहिस्सा बराबर हित है। प्रतिवादी संख्या–1 हिन्दू कर्ता खानदान होने के कारण ही आराजी उनके नाम दर्ज ई। इसलिए उक्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 बहिस्सा बराबर के यानि त्येक 1/3 हिस्सा हक व हिस्सा के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार हुये। इस कारण उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण वादी विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी व दावेदार है

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने राजस्व अभियान मैनावाली राजीनामा प्रस्तुत किया तथा मुताबिक राजीनामा वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया।

कैम्प में उपस्थित उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई जिन्होने वाद पत्र का कोई विरोध नही होने के कारण वाद पत्र मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति दी। हमारे द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से चक 4 एम.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नम्बर–139/356 (2) किला नम्बर–1 ता 25 तादादी 6.325 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 बहिस्सा बराबर व चक 4 एमडब्ल्यूएम''बी'' के पत्थर नम्बर–137/357 (4) के किला नम्बर–21/2 ता 24/2 की 0.912 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–138/358 (6) के किला नम्बर–1, 2, 3/2, 8/2, 9 ता 11 की 1.404 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–137/358 (7) के किला नम्बर–1 ता 10 की 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–134/358 (10) के किला नम्बर–16 ता 25 की 2.530 हैक्टेयर कुल 7.376 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 बहिस्सा बराबर व चक 3 एमडब्ल्यूएम के पत्थर नम्बर–139/355 (34) के किला नम्बर–1/1, 2 ता 25 की 6.287 हैक्टेयर में से 1.256 हैक्टेयर भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या–1 नाम से दर्ज चक 6 एमडब्ल्यूएम''बी'' के पत्थर नम्बर–132/366 (17) के किला नम्बर–11 ता 25 की 3.795 हैक्टेयर भूमि खातेदार रहेगा।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से चक 4 एम.डब्ल्यू.एम. के पत्थर नम्बर–139/356 (2) किला नम्बर–1 ता 25 तादादी 6.325 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा में वादी–महावीर व प्रतिवादीगण संख्या 2 बलवीर बहिस्सा बराबर व चक 4 एमडब्ल्यूएम''बी'' के पत्थर नम्बर–137/357 (4) के किला नम्बर–21/2 ता 24/2 की 0.912 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–138/358 (6) के किला नम्बर–1, 2, 3/2, 8/2, 9 ता 11 की 1.404 हैक्टेयर, पत्थर

Scanned by CamScanner

4

...137/358 (7) के किला नम्बर–1 ता 10 की 2.530 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–134/358 ...–137/358 (7) के किला नम्बर–16 ता 25 की 2.530 हैक्टेयर कुल 7.376 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा में ... के किला नम्बर–16 ता 25 ... वादी–महावीर व प्रतिवादीगण संख्या 2 बलवीर बहिस्सा बराबर व चक 3 एमडब्ल्यूएम के ...र नम्बर–139/355 (34) के किला नम्बर–1/1, 2 ता 25 की 6.287 हैक्टेयर में से 1.256 ...टेयर भूमि के वादी–महावीर व प्रतिवादीगण संख्या 2 बलवीर बहिस्सा बराबर के खातेदार ...षित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या–1 नाम से दर्ज चक 6 एमडब्ल्यूएम''बी'' के पत्थर ...बर–132/366 (17) के किला नम्बर–11 ता 25 की 3.795 हैक्टेयर भूमि खातेदारी रहेगी। ...स्नगत रकबा बैंक रहन है, तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर डिक्री का अमल ...रामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखित दप्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 4.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner